बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–.................................../पटना, दिनांक–.................
सं0सं0–4तक0/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/13/2018

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सीपेट के व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतिहारी में करने हेतु रु0 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये) मात्र सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–2151 दिनांक 14.12.2018 एवं पत्रांक–136 दिनाक 11.01.2019 के कम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सीपेट के व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतिहारी में करने हेतु रु0 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये) मात्र सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायतशासीत संस्थान है। इस संस्थान के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम यथा DPMT(Diploma in Plastic Mould Technology), DPT (Diploma in Plastic Technology) एवं PGD-PPT (Post Graduate Diploma in Plastics Processing Tecnology) में दीर्घकालीन/अंशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसके अन्तर्गत बिहार के युवक/युवतियों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त Skill Development, Placement Linked अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है जिसका लाभ बिहार के युवक/युवतियों को प्राप्त हो रहा हैं।

3. इस योजना के भवन निर्माण हेतु रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा वहन 50:50% किया जाना है। योजना के कार्यान्वयन एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना होंगे।

4. इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये) का उपबंध प्राप्त है।

5. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष 0150–सेन्ट्रल इस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी की स्थापना, विपत्र कोड 23–2852801020150, विषय शीर्ष–0150.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि से की जायेगी जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध प्राप्त है।

6. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी पी0एल0 खाते के माध्यम से प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

7. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

8. इस योजना के नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे एवं उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

9. स्वीकृत राशि विभागीय योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

10. इस योजना के लेखा–जोखा का पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

11. इस राज्यादेश में संचिका संख्या– 4तक0/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/13/2018 के पृ0–23/टि0 पर दिनांक 30.01.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा सहमति प्राप्त है।

12. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनश्चित किया जाएगा।

13. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–........................../पटना, दिनांक–..................
सं0सं0–4तक0/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/13/2018

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................./पटना, दिनांक–.................
संoसंo–4तकo/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/13/2018

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तकo)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/निदेशक एवं प्रमुख, सीपेट, हाजीपुर/उप उद्योग निदेशक, योजना, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हo/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– ..../पटना, दिनांक–.................
संoसंo–4तकo/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/13/2018

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हo/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 738/पटना, दिनांक–21.02.19
संoसंo–4तकo/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/13/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में/आईoटीo प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(11)